

भारत सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, भारत, राँची

सेवा में,
सचिव,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 12.12.04

विषय- भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विभाग विभाग भारत सरकार के द्वारा विद्यार्थीगणों के अन्तर्गत संचालित संत जगत दान पब्लिक स्कूल पिसका नगरी, राँची को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन दो वर्षों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निवेदन लिखा गया है।

1. - विद्यालय जिसमें 4650 वर्ग फीट भवन स्थापित कीट से निर्मित है को एक वर्ष के अन्दर आर०जी०सी० से निर्माण कर परिवर्तित कर लिया जायेगा।
2. - विद्यालय में एक वर्ष के अन्दर 60x60 फुट 3600 वर्ग फीट का एक हॉल का निर्माण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के आदेश में निम्नलिखित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. - विद्यालय की वार्षिक व्यय आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो व्यय होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को उस से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्तों के बराबर भुगतान करना होगा।

2. - विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय जो भूखंड में 28वीं एक्ट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48वीं एक्ट के अन्तर्गत विद्यालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 30 वर्षों के निर्बंधित पट्टा/लीज होना चाहिए, यदि भविष्य में जांचोपरांत निम्न विधि पाई जायेगी



Ranjan Kumar
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

[Signature]
Principal
St. J.G. Sr. Sec. Public School
Piska Nagri, Ranchi

- अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की गारंटी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
 5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या फेवरेटिजम कीमत नहीं लिया जाएगा।
 6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्रों का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य मुक्त का 50 प्रतिशत मुक्त लिया जाएगा।
 7. विद्यालय का कार्यक्रम राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम का संचार, नैतिक तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक आविर्भाव, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु सामाजिक प्रयास करना होगा।
 8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उनके अनुपात में शिक्षा होना चाहिए।
 9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, जर्नलों की संख्या, योग्यता एवं विद्युत् प्रमाण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समन्वयक संतोषन कर लेनी।
 10. विद्यालय में नामांकन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शाली विद्यालय के सदस्यों की कार्यविधि पूर्व डोनेशन पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बना करना होगा।
 11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित विभिन्न प्रकार के स्कटेनन प्रोग्राम तथा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग स्टाफ्ट एवं गार्ड आदि को सुरक्षित रूप से करना होगा।
 12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से भूषण प्राप्त हो तो विद्यार्थी परीक्षा संख्या-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार गतियों का पालन करना होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
 13. - उपर्युक्त गतियों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
 14. - अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा तयारित जागजातों एवं अभि-लेखों का जाली या वास्तविक स्थिति के विपरीत पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैला हो तो सरकार निर्मित अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
 15. - विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सहायक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार को चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अर्थ-व्ययिक अनिवार्यताओं की जाँच करा लेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर लेगी।

3114

12/12/2024

Secretary

St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

Principal

St. J.G. Sr. Sec. Public School
Piska Nagri, Ranchi
Jharkhand



16- स्तह विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निवारण माननीय द्वारकड उच्च न्यायालय, राँची के जेआरकेड के अन्तर्गत होगा।

17. समय-समय पर गैरजुडित में सरकार द्वारा विगत सप्ताह संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा कर्मियों का उत्पन्न मानवी दुष्ट अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के साथ-साथ अन्य अनुचित शरणाह भी दी जा सकेगी।

विगत मानन,

[Signature]

निदेशक,

राष्ट्रिय न्यायिक निवारक द्वारकड राँची।

आपांक.... 3.11.19.... / राँची, दिनांक 1.12.19....

प्रतिलिपि- संबंधित क्षेत्रीय उप निदेश निदेशक/संबंधी जिला निदेशक न्यायिक-राँची/संबंधित विभाग के प्रधानाध्यापक को सूचना एवं आदेशक जापदित प्रेषित।

[Signature]

निदेशक,

राष्ट्रिय न्यायिक निवारक द्वारकड राँची।

आपांक.... 3.11.19.... / राँची, दिनांक 1.12.19....

प्रतिलिपि-माननीय निदेश, राज्य संबंधित विगत विभाग, द्वारकड, के प्राप्त तथ्य/तथ्य, मानव संसाधन विगत विभाग, द्वारकड, राँची को सूचना एवं आदेशक जापदित प्रेषित।

[Signature]

निदेशक,

राष्ट्रिय न्यायिक निवारक द्वारकड राँची।



[Signature]
SECRETARY
St. Jagat Gyan Public School
Piska Nagri, Ranchi, Jharkhand

[Signature]
Principal
St. J.G. Sr. Sec. Public School
Piska Nagri, Ranchi
Jharkhand